(क) क्या देश में प्रतिवर्ष 60,000 बच्चे लापता हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011 तथा 2012 में अब तक लापता होने वाले बच्चों के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत एक वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्वी दिल्ली स्थित मदनपुर खादर से 100 बच्चे लापता हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली की मलिन बस्तियों से बड़े पैमाने पर बच्चों के लापता होने के क्या कारण हैं;

(च) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली से लापता हुए बच्चों से कितने बच्चों का पता चला है और कितने बच्चे मिल गए हैं; और

(छ) विशेषकर दिल्ली से बच्चों के लापता होने की घटना को रोकने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (छ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 2008-2010 के दौरान क्रमश: 67,195, 68,227 तथा 69,152 मामले प्राप्त हुए ।**

**दिल्ली पुलिस से वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान (15.01.2012 तक) मदनपुर खादर से गुमशुदा बच्चों के संबंध में उपलब्ध कराए गए विवरण निम्न प्रकार से हैं ।**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **कुल** | **खोज लिए गए** | **न खोज पाए जा सके** |
| **2011** | **26** | **17** | **09** |
| **2012 (15.04.2012 तक)** | **07** | **03** | **04** |

**मलिन बस्तियों से बच्चों के गुम हो जाने के कोई स्पष्ट कारण नहीं है । तथापि दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस किए गए कारणों में रास्ता भूल जाना, कुछ लोगों द्वारा बच्चों को भ्रमित करना, अभिभावकों द्वारा गलत व्यवहार, पढ़ाई का भार, परिवार से गुस्सा, मानसिक स्थिति सामान्य न होना, किसी के साथ भाग जाना इत्यादि हैं । पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली से खोजे गए और न खोज पाए गए गुमशुदा बच्चों का विवरण निम्न प्रकार से है ।**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **कुल** | **खोजे गए** | **न खोज पाए गए** |
| **2011** | **5111** | **3752** | **1359** |
| **2012 (15.04.2012 तक)** | **1146** | **617** | **529** |

* **बच्चों को गुमशुदा होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ।**
* **दिल्ली पुलिस सभी गुमशुदा बच्चों की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज करती है । गुमशुदा बच्चों पर सूचना तत्काल दिल्ली पुलिस के वेब आधारित जिपनेट कार्यक्रम में अपलोड़ की जाती है ।**
* **दिल्ली पुलिस गुमशुदा बच्चों के अभिभावकों के पते एवं संपर्क नम्बर के साथ रजिस्टर्ड एफ आई आर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजती है ।**
* **दिल्ली पुलिस खोज लिए गए/वापस आ गए बच्चों से सभी संगत दृष्टिकोणों जैसे संगठित गैंगों की संलिप्तता, बंधुआ मजदूर अधिनियम तथा अन्य ऐसे संबंधित अधिनियमों के दृष्टिकोण से फीडबैक प्राप्त करती है ।**
* **यदि कोई संगठित गैंग संलिप्त पाया जाता है तो इसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गठित विशेष सेल को भेज दिया जाता है ।**
* **दिल्ली पुलिस के सभी 11 जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां सृजित की गई हैं ।**
* **सभी संबंधित स्टॉक को नियमित रुप से ब्रीफ किया जाता है तथा सुभेद्यता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं ।**
* **दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में किशोर कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।**
* **दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस स्टेशनों में गुमशुदा व्यक्ति डेस्क गठित किए गए हैं । दिल्ली पुलिस द्वारा उपर्युक्त उठाए गए कदमों के अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने हाल में 31 जनवरी, 2012 को गुमशुदा बच्चों पर एक परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को बच्चों के व्यापार तथा उन्हें खोजने के लिए विभिन्न उपायों पर सुझाव दिया गया है । इसमें गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइलिंग, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों की भूमिका, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित है ।**